कभी भी हो सकता है 2006 जैसा हादसा

▶ नेहरू नगर में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनियों की खस्ता हालत

जूनियर रिपोर्टर

भोपाल, 05 सितम्बर. शहर मे मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड द्वारा नब्बे के दशक में बनाई गई बिल्डिंग अब जर्जर और खतरनाक स्थिति में पहुंच चुकी है. विशेषकर नेहरू नगर क्षेत्र की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की स्थिति बेहद दयनीय हो गई है.

यहां की इमारतों मे दरारें, सीलन, बदबू और गंदगी में लोग मजबूरी मे रह तो रहे है, लेकिन हर पल हादसे के डर के साथ. हाउसिंग बोर्ड द्वारा बनाई गई तीन मंजिला बिल्डिंग में रहने वाली सुमन देवी ने बताया कि वो इस ईमारत मे 35 साल से रह रही है बरसात के मौसम मे उनका घर रिसने लगता है दीवारो मे सीलन है, नालिया जाम रहती है और गटर का गंदा पानी घर मे घुस आता है. बदबू और सीलन के कारण घर मे सांस लेना मुश्किल है अक्सर जहरीले कीड़े और सांप निकल आते हैं.

दीवारों से सरिया बाहर झांक रहा हैं और छतों पर काई और फिसलन है. बिल्डिंग मे कई परिवारो के छोटे-छोटे बच्चे और बुजुर्ग रह रहे है सीलन भरे कमरो और संकरी टूटी-फूटी सीढ़ियो से रोजाना खतरे का डर बना रहता है. कई बार करंट लग चुका है, लेकिन फिर भी जिम्मेदार विभाग आंख मूंदे हुए है.

हाउसिंग बोर्ड पर लापरवाही का आरोप

लोगो का कहना है कि हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारी समय-समय पर टैक्स और अन्य शुल्क वसूलने आते हैं, लेकिन मरम्मत या नई बिल्डिंग बनाने की दिशा में आश्वासन देकर चले जाते हैं. ऐसा लगता है जैसे अधिकारी इस इंतजार में है कि पहले बिल्डिंग गिरे, जानें जाएं, तब कहीं जाकर कार्रवाई करेंगे. नगर निगम भी मूलभूत सुविधाओं से लोगों को वंचित रख रहा है. क्षेत्र में कचरा उठाने और नालियों की सफाई तक की व्यवस्था ठीक से नहीं है. कई-कई हफ्तों तक कचरा सड़क किनारे पड़ा रहता है. मक्खी-मच्छरों का प्रकोप बढ़ चुका है सफाईकर्मी पैसे मांगे बिना काम नहीं करते ऐसे में लोगों को मजबूर होकर गंदगी और बदबू के बीच रहना पड़ रहा है. यह भी देखा जा रहा है कि वर्षों की अनदेखी के कारण लोग अब शिकायत करना छोड़ चुके हैं.गरीब परिवार अब मान बैठे है कि उनकी आवाज सुनी नहीं जाएगी इस लापरवाही और चुप्पी ने समस्या को और विकराल बना दिया है.

कोटरा सुल्तानाबाद का दर्दनाक सबक

ये पहली बार नहीं है 2006 में कोटरा सुल्तानाबाद क्षेत्र मे मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड की ईडब्ल्यूएस फ्लैट वाली इमारत ढह गई थी. यह बिल्डिंग सरस्वती शिशु मंदिर के पास स्थित थी. इस हादसे ने पूरे शहर को डरा दिया था. उस समय कई लोगो को अपनी जान गंवानी पड़ी और सैकड़ों लोग बेघर हो गए. लेकिन बड़ी बात ये है कि उस घटना से कोई सबक नहीं लिया गया. आज नेहरू नगर और शहर के अन्य इलाकों में बनी जर्जर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनिया उसी हादसे को दोहराने की चेतावनी दे रही है. यदि समय रहते ध्यान नही दिया गया, तो किसी भी दिन कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है. इन इमारतों का तत्काल सर्वे कराकर इन बिल्डिंग्स को फिर से बनाया जाए या लोगों को वैकल्पिक आवास मुहैया कराया जाए. निष्कर्ष यह है कि शहर की इन खस्ताहाल हाउसिंग बोर्ड कॉलोनियो पर अब तत्काल ध्यान देना ही होगा, वरना एक बार फिर कोटरा सुल्तानाबाद जैसी हादसा भोपाल को दहला सकती है.

ओबीसी आरक्षण को लेकर एकजुट हुए अधिवक्ता

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 5 सितंबर. आगामी 23 सितम्बर से सर्वोच्च न्यायालय में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने से जुड़ी याचिकाओं की होने वाली सुनवाई के संबंध में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के गंभीर प्रयासों के परिणाम दिखने लगे हैं.

मुख्यमंत्री द्वारा सर्वदलीय बैठक बुलाए जाने के बाद गत दिवस मध्यप्रदेश भवन नई दिल्ली में मप्र शासन के अधिवक्ताओं एवं ओबीसी महासभा के अधिवक्ताओं की एक संयुक्त बैठक सम्पन्न हुई. इस बैठक में ओबीसी महासभा के अधिवक्ताओं की ओर से मप्र शासन द्वारा नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता के अतिरिक्त अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं की नियुक्ति के लिए दो नामो का पैनल दो दिवस में देने की सहमति दी गई है. बैठक में आगामी सुनवाई हेतु ओबीसी वर्ग के हितों के संरक्षण हेतु साझा पैरवी पर भी सकारात्मक रूप से चर्चा हुई.

बैठक में म.प्र. शासन के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह, पूर्व महाधिवक्ता अनूप जोर्ज चौधरी, सीनियर एडवोकेट श्रीमती जून चौधरी, वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर ठाकुर, वरुण ठाकुर, विनायक शाह, शशांक रतनू , रामकरण, हनुमत लोधी सहित अन्य अधिवक्तागण शामिल हुए.

पति की मौत की खबर सुनकर पत्नी ने पी लिया एसिड

बैरसिया, 5 सितंबर. सड़क हादसे में हुई पति की मौत की खबर सुनकर पत्नी ने एसिड पीकर आत्महत्या कर ली. पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है.

टीआई बीरेंद्र सेन के मुताबिक ज्योति कुशवाह पति कमर सिंह उर्फ बंटी उम्र 25 ग्राम खजूरी में रहती थी. बुधवार को सड़क हादसे में महिला के पति की मौत हो गई थी. गुरुवार को उसके पति का अस्पताल में पीएम चल रहा था. इसी बीच घर के बाथरूम में जाकर महिला ने एसिड पी लिया था. उसे गंभीर अवस्था मे अस्पताल मे भर्ती कराया था. जहां उसकी कुछ समय बाद ही मौत हो गई. अस्पताल की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका का शव पीएम के लिए भेज दिया. करीब पांच साल पहले महिला की शादी हुई थी. उसके दो बच्चे भी हैं.

नगर में निर्माण कार्य का भूमिपूजन

बैरसिया, 5 सितंबर. नगरपालिका के वार्ड क्रमांक 2,4,5,6, से गुजरने वाले प्रमुख मार्ग सांवलिया मंदिर से राम जानकी मंदिर बसई तक 59 लाख 58 हजार रुपये से होने वाले सड़क निर्माण कार्य का शुक्रवार को नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि कुलदीप सिंह राठौड़ ने भूमिपूजन किया.

इस मार्ग का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद नगर की यातायात व्यवस्था को सुगम होगी.

इस अवसर पर नपा अध्यक्ष प्रतिनिधि कुलदीप सिंह राठौड़ ने कहा नगरीय क्षेत्र में तेज गति से विकास कार्य किए जा रहे हैं. नपा परिषद लोगों को मूलभुत सुविधा मुहैया कराने का पूरा प्रयास कर रही है. नगर पालिका का लक्ष्य है. इस मौके पर सभी पार्षद गण एवं नगरवासी उपस्थित रहे.

गुणवत्ता बीएचईएल की पहली प्रतिबद्धता

भेल में बियरिंग्स व असेंबली पर प्रशिक्षण सत्र

बीएचईएल संवाददाता

भोपाल, 5 सितंबर. बीएचईएल, भोपाल के मानव संसाधन विकास केंद्र में मेसर्स एसकेएफ के विशेषज्ञों द्वारा बियरिंग्स और असेंबलीज के मूल सिद्धांतों पर एक दिवसीय प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया. इसका उद्घाटन महाप्रबंधक (गुणवत्ता) जीपी बघेल ने किया.

इस अवसर पर अपर महाप्रबंधक (टीटीएक्स) सुनील कुमार भार्गव तथा अपर महाप्रबंधक (मानव संसाधन विकास) सुरेखा बन्छोर विशेष रूप से उपस्थित रहीं. प्रशिक्षण का उद्देश्य संगठन में तकनीकी दक्षता को और मजबूत करना था. कार्यक्रम में बीएचईएल के विभिन्न विभागों से लगभग 60 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया. अपने संबोधन में बघेल ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है और बदलते तकनीकी युग में नई विधियों को अपनाना आवश्यक है. उन्होंने बीएचईएल की गुणवत्ता प्रथम नीति के प्रति पुन: प्रतिबद्धता जताते हुए सभी से कार्यस्थल पर इसे लागू करने का आह्वान किया.

कलाकारों का किया सम्मान

जूनियर रिपोर्टर

भोपाल, 5 सितम्बर. सुर शंकरा म्यूज़िकल ग्रुप की आठवीं वर्षगांठ पर 155वी संगीतमयी प्रस्तुति शिक्षक दिवस के अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पॉलिटेक्निक कॉलेज के ऑडिटोरियम में सम्पन्न हुई.

कार्यक्रम का आगाज माँ सरस्वती की वंदना से हुआ, जिसके बाद टाइटल सॉन्ग मेरा साथ निभाना हो किसी मोड़ पे छोड़ न जाना ने पूरे माहौल को संगीतमय बना दिया. ग्रुप के अध्यक्ष व भजन गायक सुरेश गर्ग को संगीत के प्रति अथाह समर्पण के लिए आयरन मेन की उपाधि से नवाजा गया. वही कार्यशाला निदेशक जी.आर. भगोरे को कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक अवार्ड और वरिष्ठ गायिका मीना पुरोहित को बेस्ट फीमेल सिंगर अवार्ड दिया गया. 20 से अधिक कलाकारो को भी सम्मानित किया गया. कार्यक्रम में व्यास म्यूज़िकल ग्रुप व कई प्रतिष्ठित मेहमान मौजूद रहे.

सुरेश गर्ग के पोते अव्यान ने भी अपनी मासूम अदाओं से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया. संगीतीय प्रस्तुतियों मे आयशा खान, बेबी अलीज़ा खान, दिलीप बोरसे, मीना पुरोहित सहित अन्य कलाकारों ने यादगार गीत पेश किए. अंत में सभी कलाकारों ने मिलकर समापन गीत प्रस्तुत किया. ग्रुप के मैनेजर इंजी. प्रतीक गर्ग व निहारिका गर्ग ने सभी का आभार जताया.

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमति कुलबीर कौर गुलाटी पत्नि श्री कुलदीप सिंह गुलाटी निवासी मकान नम्बर 161, ईदगाह हिल्स मोलाना आजाद स्कूल के पास भोपाल (म.प्र.) मेरा नाम विवाह के पूर्व बिलबेर कौर के नाम से जानी जाती थी विवाह के पश्चात श्रीमती कुलबीर कौर गुलाटी पत्नी श्री कुलदीप सिंह गुलाटी के नाम से भी जानी जाती हूँ तथा मेरा नाम श्रीमति कुलबीर कौर गुलाटी पत्नि श्री कुलदीप सिंह गुलाटी से जाना पहचाना जावे एवं समस्त शासकीय, अशासकीय विभागो में भी नया नाम यही मान्य होगा।

CHANGE OF NAME

This is to certify that I, Tajwer Riyaz D/o Basheer Ahmed (Senior Citizen) W/o Riyaz Mohammad Khan House No. 882 Ginnauri Bhopal (M.P.) make the following statement Tajwer Riyaz, Tajwer Riyaz and Tajwer Bahseer are both names of the same woman. My husband is known by the names Riyaz Mohammad Khan and Mohammad Riyaz Khan, both names belong to the same person. My daughter Smt Uneza Riyaz W/o Mohammad Zakir Hussain Passport No-N2183014 residence in Hyderabad (Telangana).

सुखी दांपत्य जीवन के लिए किया बाबा बटेश्वर का अभिषेक

भोपाल. श्री बड़वाले महादेव मंदिर सेवा समिति एवं अनेक श्रद्धालुओं ने सपत्नीक शुक्र प्रदोष के अवसर पर सुखी दांपत्य जीवन एवं सद्भावना की कामना को लेकर बाबा बटेश्वर का मीठे दूध से अभिषेक किया गया. समिति के संजय अग्रवाल एवं प्रमोद नेमा ने बताया रात्रि 10 बजे गुलाब, मोगरा, गेंदा आदि फूलों से बाबा बटेश्वर का उमाकांत स्वरूप में दिव्य श्रृंगार कर महाआरती की गई रात्रि में भजन संध्या हुई. इस मौके पर शिशिर मित्तल, आकाश अग्रवाल, मोनू राठौर, प्रकाश मालवीय सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे.

सांसद ने की स्वदेशी सामान बेचने की अपील

▶ कहा- दुकानों पर लगाएं यहां स्वदेशी सामान मिलता है का बोर्ड

भोपाल, 5 सितंबर. सांसद आलोक शर्मा ने शुक्रवार को भोपाल शहर के पुराने चौक बाजार, जुमेराती और लखेरापुरा में स्वदेशी अपनाओ के बारे में जन जागरण किया. इस अवसर पर उन्होंने व्यापारियों से स्वदेशी सामान बेचने अपील की.

सांसद शर्मा के आह्वान पर दुकानदारों ने अपनी-अपनी दुकानों के बाहर यहां स्वदेशी सामान मिलता है के बोर्ड लगाए. जन जागरण के दौरान सांसद शर्मा के साथ व्यापारी गणों ने संकल्प लिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए वे सभी अपनी दुकानों पर स्वदेशी सामान ही बेचेंगे.

सांसद शर्मा ने कहा कि स्वदेशी केवल एक नारा नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में निर्णायक कदम है. स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग से न केवल देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है, बल्कि हमारी संस्कृति और परंपरा भी सुरक्षित रहती है. वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया जैसे अभियान देश को विकसित भारत बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास हैं. इससे भारतीय उद्योग, किसान और छोटे व्यापारी लाभान्वित होते हैं. स्थानीय कला और परंपरा को बढ़ावा मिलता है. आत्मनिर्भरता से देश मजबूत बनता है. सांसद शर्मा के साथ व्यापारी बंधु गण उपस्थित रहे.

सीएम आज किसानों को राहत राशि देंगे

भोपाल, 5 सितंबर. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शनिवार 6 सितम्बर को प्रात: 11 बजे प्राकृतिक आपदा से हुई फसल क्षति के प्रभावित किसानों के खाते में राहत राशि का अंतरण करेंगे. मुख्यमंत्री निवास समत्व भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री डॉ. यादव किसान हितग्राहियों से चर्चा भी करेंगे. संबंधित जिले के कलेक्टर और संबंधित विभाग के अधिकारी भी वर्चुअली शामिल होंगे.

अग्रसेन जयंती पर 20 को निकलेगी भव्य शोभायात्रा

भोपाल. भगवान अग्रसेन जी की 5149 वीं जयंती के उपलक्ष्य में समग्र अग्रवाल समाज भोपाल द्वारा भव्य शोभायात्रा 20 सितम्बर शनिवार 4 बजे से जवाहर भवन रोशनपुरा चौराहे से निकाली जा रही है.

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार वृत्त-3, हर्राखेड़ा तहसील बैरसिया जिला भोपाल (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक/0129/अ-6/2025-26 बैरसिया, दिनांक 03/09/2025

उद्घोषणा

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका साधना भार्गव पत्नी देवेन्द्र भार्गव निवासी ग्राम दिल्लौद, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल म.प्र. द्वारा आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 109-110 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत कर लेख किया है कि ग्राम दिल्लौद तहसील बैरसिया स्थित भूमि खसरा नंबर 113/1/3/1-114 रकबा 1.214 हेक्टेयर भूमि के खातेदार / सहखातेदार लीला देवी की मृत्यु दिनांक 17/04/2024 को हो जाने के कारण आवेदिका द्वारा अपने नाम पर रजिस्टर्ड वसीयतनामा के आधार पर फौतीनामान्तरण किये जाने का निवेदन किया है. आवेदित भूमि का विवरण निम्नानुसार है-

क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकवा	खातेदार
01	दिल्लौद	113/1/3/1-114	1.214 हे.	लीलादेवी पत्नी ज्वालाप्रसाद

प्रकरण न्यायालय में गतिशील है

अत: अवेदित भूमि के नामान्तरण के सम्बंध में जिस किसी को भी कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति उदघोषणा प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस/ नियत दिनांक 19.09.25 तक इस न्यायालय में स्वत: उपस्थित होकर या अपने विधिक सलाहकार के माध्यम से अपनी आपत्ति लिखित में न्यायालयीन समय में न्यायालय में पेश कर सकता है. म्याद उपरांत पेश आपत्तियों पर कोई विचार नही किया जावेगा. यह उदघोषणा आज दिनांक 03.09.25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा से जारी किया गया.

अतिरिक्त तहसीलदार
वृत्त-3, हर्राखेड़ा
बैरसिया दिनांक 03/09/2025

कार्यालय पुलिस थाना छीपाबड़ जिला हरदा म .प्र .

थाना/छीपाबड़/क्र./1314/25 दिनांक 24/7/2025

अज्ञात मृतक पुरुष की विज्ञप्ति पत्र

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 4/6/2025 को सूचनाकर्ता पंकज भगत पिता सदाशिव, उम्र 27 साल, जाति पवार, नि. टीआरडी कॉलोनी खिरकिया में दिनांक 4/6/2025 को थाना छीपाबड़ आकर सूचना दी कि रेलवे विभाग में पाइंटमैन के पद पर पदस्थ हूं. दिनांक 4/6/2025 को समय 1.30 बजे ड्यूटी के दौरान रेलवे स्टेशन मास्टर खिरकिया द्वारा एक लिखित तहरीर दी है, जिसमें एक अज्ञात पुरुष उम्र करीबन 45 साल का शव भिरंगी पलासनेर रेलवे स्टेशन के बीच खम्बा नंबर 651/13, 14 पर पड़ा है, जिसकी सूचना पर थाना छीपाबड़ में मर्ग क्र. 37/25 धारा 194 बीएनएसएस की कायम कर जांच में लिया गया है.

मृतक पुरुष का हुलिया इस प्रकार है :-

नाम- अज्ञात मृतक पुरुष, **उम्र-** करीबन 46 साल, सफेद रंग की शर्ट, काला पेंट, लक्स कोजी की अंडरवियर, काले जूते, काले मोजे, जिसमें लाल रंग का निशान बना है, पहने हुए है, खंडवा से मथुरा जाने का रेलवे टिकट. इस संबंध में कोई जानकारी मिलती है तो नीचे दिए गए नंबरों पर सम्पर्क कर थाना छीपाबड़ जिला हरदा को बताने का कष्ट करें :-

संपर्क :-
पुलिस कंट्रोल रूम हरदा- 7587619557
जांचकर्ता प्रआर 360 मुरारी दुबे- 9926827342
थाना प्रभारी उनि दिनेश रावत- 7509487506
G18189/25 थाना प्रभारी, थाना छीपाबड़, जिला हरदा

निवेश टोरेंट 22 हजार और अडानी पॉवर 10500 करोड़ रुपये करेगा निवेश

प्रोजेक्ट से मिलेगा 17 हजार को रोजगार

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 5 सितंबर. ऊर्जा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रयासों से अब इस क्षेत्र में नया निवेश आ रहा है. टोरेंट पॉवर और अडानी पॉवर जैसी बड़ी कंपनियों ने अब ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रदेश में काम करना शुरू कर दिया है. टोरेंट पॉवर कंपनी 22 हजार करोड़ और अडानी पॉवर कंपनी 10 हजार 500 करोड़ रूपये का निवेश करेगी. इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार 17,000 को रोजगार मिलेगा.

टोरेंट पॉवर 1600 मेगावॉट थर्मल प्रोजेक्ट के लिए प्रदेश में 22 हजार करोड़ रूपये का निवेश करेगी. टोरेंट पॉवर लिमिटेड को एमपी पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड से 1,600 मेगावॉट के कोयला आधारित बिजली संयंत्र की स्थापना के लिए लेटर ऑफ अवार्ड दे दिया है. यह अहमदाबाद-स्थित समूह द्वारा बिजली क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा निवेश है.

यह परियोजना ग्रीनफील्ड 2गुणा 800 मेगावॉट की अल्ट्रा-सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित होगी और इसे डिज़ाइन, निर्माण, वित्तपोषण, स्वामित्व और संचालन डीबीएफओओ मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा. टोरेंट इस संयंत्र की पूरी क्षमता एमपीपीएमसीएल को 25 साल की पॉवर परचेज एग्रीमेंट पॉवर परचेस एग्रीमेंट के तहत 5.829 रूपये प्रति यूनिट की दर से आपूर्ति करेगा. यह परियोजना पीपीए पर हस्ताक्षर होने के 72 महीनों के भीतर चालू होनी है. परियोजना लागत का लगभग 70 फीसदी ऋण के माध्यम से पूरा किया जाएगा. टोरेंट पॉवर का यह निवेश केंद्र सरकार के 2032 तक 80 गीगावॉट अतिरिक्त कोयला आधारित क्षमता के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. इससे ग्रिड को स्थिर करने के लिए आवश्यक बेसलोड क्षमता जुड़ेगी. इस परियोजना के निर्माण के दौरान 10 हजार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे.

अडानी पॉवर मध्यप्रदेश में 800 मेगावॉट का ताप विद्युत संयंत्र 10 हजार 500 करोड़ रुपये की लागत से विकसित कर मप्र को बिजली आपूर्ति करेगी. इस परियोजना के तहत 800 मेगावॉट की क्षमता वाला एक नया ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किया जाएगा. यह संयंत्र अनूपपुर ज़िले में स्थित होगा. संयंत्र को 54 महीनों में चालू किया जाएगा. यह कदम प्रदेश की ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूत करेगा.

एमपी पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड अल्ट्रा-सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत संयंत्र विकसित करने और उससे बिजली आपूर्ति के लिए लेटर ऑफ अवार्ड एलओए दे चुकी है. यह संयंत्र डिज़ाइन, निर्माण, वित्त, स्वामित्व और संचालन डीबीएफओओ मॉडल के तहत स्थापित किया जाएगा. इस संयंत्र के लिए कोयले की आपूर्ति भारत सरकार की शक्ति योजना के तहत मप्र को आवंटित की गई है. परियोजना निर्माण चरण में 7,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा और चालू होने के बाद इसमें लगभग एक हजार स्थायी कर्मचारी कार्यरत होंगे.

CENTRUM Home Loans
Aao milkar ghar banaye

कॉर्पोरेट और पंजीकृत कार्यालय: यूनिट नंबर 801, सेंट्रम हाउस, सीएसटी रोड, विद्यानगरी मार्ग, कलिना सांताक्रूज (पूर्व), मुंबई - 400098, सीआईएन नंबर U65922MH2016PLC273826

डिमांड नोटिस

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, २००२ की धारा १३(२) के अंतर्गत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, २००२ के नियम ३ (१) के साथ पठित

अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, २००२ (उक्त अधिनियम) के अंतर्गत सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी हैं. उक्त अधिनियम की धारा १३ (१२) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, २००२ के नियम ३ के साथ पठित, प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा १३ (२) के अंतर्गत मांग नोटिस जारी किया है, जिसमें निम्नलिखित उधारकताओं (उक्त उधारकर्ता) से राशि वापस करने का आह्वान किया गया है. उपरोक्त के संबंध में, एक बार फिर, उक्त उधारकर्ता को इस नोटिस के प्रकाशन से ६० दिनों के भीतर सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को नीचे दर्शाई गई राशि का भुगतान करने के लिए नोटिस दिया जाता है, साथ ही उक्त डिमांड नोटिस में विस्तृत रूप से देय राशि के पूर्ण पुनर्भुगतान की तारीख तक ब्याज और अन्य शुल्क भी देना होगा. नीचे उल्लिखित तारीखों से लेकर भुगतान और / या वसूली की तारीख तक, उक्त उधारकताओं द्वारा निष्पादित अन्य दस्तावेजों / लिखित दस्तावेजों, यदि कोई हो, के साथ पठित ऋण समझौते के तहत देय ऋण की देय चुकौती के लिए सुरक्षा के रूप में, निम्नलिखित परिसंपत्तियों को क्रमशः उधारकताओं द्वारा सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को गिरवी रखा गया है

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या/उधारकर्ता (ओं)/सह-उधारकर्ता (ओं)/ गारंटर (ओं) का नाम	कुल बकाया राशि (रु.)	एनपीए दिनांक / सेक. 13(2) नोटिस दिनांक / एफसीएल दिनांक	सुरक्षित संपत्ति का विवरण (अचल संपत्ति)
1	BHOVD22008013/ कृष्णपाल सिंह जूडन /महेंद्र सिंह/अनूप बाई	रू. 9,62,174.00 (नौ लाख बासठ हजार एक सौ चौहत्तर मात्र)	08-08-2025 30-08-2025 22-08-2025	अधिकारों में, अचल संपत्ति का टुकड़ा और पार्सल, खं. संख्या 100/1/1, 100/1/2, 100/2/2, 100/2/1/2, प्रवेश 600 वर्ग फुट, प्लॉट संख्या 25, संस्कार विहार कॉलोनी, वार्ड संख्या 12, ताजपुर महल, रायसेन, तहसील एवं जिला-रायसेन-464551, मध्य प्रदेश। सीमाएँ:- पूर्वः चारदीवारी, पश्चिमः 7.5 मीटर, कॉलोनी रोड, उत्तरः प्लॉट संख्या 24, बना मकान पर, दक्षिणः प्लॉट संख्या 26, पर बना मकान

यदि उक्त उधारकर्ता सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को पूर्वोक्त भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उपरोक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों के खिलाफ कार्यवाही करेगा, जो पूरी तरह से लागत और परिणामों के रूप में उक्त उधारकताओं के जोखिम पर होगी। उक्त उधारकताओं को अधिनियम के तहत सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की पूर्व लिखित सहमति के बिना बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उपरोक्त परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो उक्त अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने के लिए उकसाता है, वह अधिनियम के तहत कारावास और/या दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

स्थानः मध्यप्रदेश, दिनांक : 06.09.2025

एसडी/- सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए अधिकृत अधिकारी